न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन

क्रमांकः कोर्ट / रीडर / 2023 / 472 दिनांकः– 06.09.2023

प्रेषिति– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
डीडवाना–कुचामन।

विषय :– प्रकरण संख्या 22 / 2022 अनवान सरकार जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौ बनाम तुलसीराम राठी एंव अन्य (कोड एंव क्रमांक Q–1704) में निर्णय दिनांक 04.09.2023 की अनुपालना बाबत।

उपरोक्त विषयक प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.202 की प्रमाणित प्रतिलिपि सूचनार्थ / पालनार्थ सलंग्न प्रेषित है। अभियुक्त पर फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड रूल्स 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एंव धारा 31(2) का उल्लंघन करने क फलस्वरूप अभियुक्त संख्या 01 श्री तुलसीराम राठी पुत्र श्री गोपीराम विक्रेता एंव अभियुक्त संख्या 02 श्री गोपीराम पुत्र श्री उदाराम राठी मालिक निवासी विकास नगर कुचामन सिटी फर्मः– मैसर्स रूणिचा दूध भण्डार, विश्वकर्मा मन्दिर के पास, कुचामन सिटी पर राशि रुपये 30,000 / –(अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की गई है। अभियुक्तगण को आदेश की प्रति भेज कर एंव उक्त राशि वसूल कर निम्न बजट हैड में जमा करवाया जाकर चालान की प्रति इस न्यायालय को भिजवाई जावें तथा संबंधित अभियुक्तगण को राशि जमा होने के चालान की फोटो प्रति भिजवाते हुए सूचित किया जावें।

0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य
04	लोक स्वास्थ्य
800	अन्य प्राप्तियाँ
(3)	खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि।

सलंग्नः– निर्णय की प्रमाणित प्रति

(कमला अलारिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला कलक्टर, कुचामनसिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी
(पीठासीन अधिकारीः कमला अलारिया, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री राजेश कुमार जांगिड, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्तः–

1. श्री तुलसीराम राठी पुत्र गोपीराम उम्र 22 वर्ष, जाति– जाट (विक्रेता)
   स्थायी निवासी– विकास नगर कुचामन सिटी।
   फर्म – मैसर्स रूणिचा दूध भण्डार, विश्वकर्मा मन्दिर के पास, कुचामन सिटी।
2. श्री गोपीराम राठी पुत्र उदाराम जाति जाट (मालिक)
   स्थायी निवासी– विकास नगर कुचामन सिटी जिला नागौर।
   फर्म – मैसर्स रूणिचा दूध भण्डार, विश्वकर्मा मन्दिर के पास, कुचामन सिटी।

प्रकरण संख्या :–22/2022

" अर्न्तगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एंव 31(2) तथा दण्डनीय धारा 51 एंव 58 "

उपस्थिति :–

1. वकील श्री मुरलीधर जोशी प्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

–:निर्णय :–

दिनांक :– 04 सितम्बर, 2023

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.01.2022 को समय 1:40 पी.एम. पर फर्म मैसर्स रूणिचा दूध भण्डार, विश्वकर्मा मन्दिर के पास, कुचामन सिटी पर पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति तुलसीराम राठी पुत्र गोपीराम, निवासी विकास नगर कुचामन सिटी, विक्रेता की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता को विक्रय वास्ते पनीर आदि पदार्थ रखे पाये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने फर्म का बिना नवीनीकरण किया हुआ खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जो की अमान्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

अति. जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर लगभग 5 किलो पनीर डीप फ्रीज के अन्दर एक लौहे के पीपे के अन्दर आमजन को विक्रय हेतु रखा हुआ मिला। इनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत खाद्य नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना गवाह के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए में भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह पनीर का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में विक्रेता से उपरोक्त वर्णित खाद्य पदार्थ 5 किलो पनीर में से 1 किलो पनीर नमुना जांच हेतु खरीदा जिसकी किमत विक्रेता को रू. 300/–नगद (अक्षरे तीन सौ रू. मात्र) देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ, सूखी एंव खाली चौड़े मुंह की प्लास्टिक की बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा पनीर के छोटे–छोटै टुकड़े करके चार बराबर–बराबर भागों में बाटकर चार साफ सुखे एंव खाली बोतलों में डाला एंव प्रत्येक बोतलों में 20–20 बुंद फार्मलिन की बतौर प्रिजरवेटिव डाली गई। इन चारों नमूना बोतलों के ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया। उक्त चारों भागों के लिए विक्रेता मालिक एंव गवाहान की उपस्थिति में चार अलग–अलग लेबल तैयार कर डीओ एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ अधिकारी नागौर का कोड व क्रमांक Q-1704 लिखा एवं अन्य विवरण अकिंत कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात प्रत्येक नमूना बोतलों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमाक Q–1704 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय मैने भी हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य विक्रेता तुलसीराम राठी एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व प्रत्येक पर नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया था। दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर श्री माणकचन्द वार्ड बॉय,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कुचामन सिटी

अति. जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर डीओ एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2022/51 दिनांक 21.01.2022 मय जांच रिपोर्ट संख्या LS/125/Act/2022/51 दिनांक 21.01.2022 के द्वारा मालूम हुआ कि लिया गया उक्त नमुना पनीर सबस्टेण्डर्ड है। उक्त नमूने की पत्रावली आवेदक द्वारा अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत कि गयी एवं खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने विक्रेता एवं मालिक को प्रेषित करते हुए अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्र क्रमांक :– चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2022/46 दिनांक 01.02.2022 प्रेषित किया। जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ पनीर सबस्टेण्डर्ड विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य है एवं बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य वस्तु का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 31(2) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य है। जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, कुचामन सिटी के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(4) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 27.06.2023 को अभियुक्त तुलसीराम राठी पुत्र गोपीराम मय अधिवक्ता श्री मुरलीधर के उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा। प्रार्थी को पर्याप्त समय देने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अतः प्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवांही अमल में लाई गयी।

(5) प्रकरण में पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के **FORM B** रिपोर्ट नं. LS/125/Act/2022/51 दिनांक 21.01.2022 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:–

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

अति. जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

Opinion- The sample of Paneer bearing Code no. and Sr. no. Q-1704 is Sub Standards as it does not conform to the prescribed standard and provisions of Foof Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011.

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ पनीर की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता तुलसीराम राठी से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ नमूना Q–.1704 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा 31(2) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 51 एंव 58 के तहत जुर्माना योग्य है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा 31(2) इस प्रकार है:–

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु काः–

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक हैं या उसमें बाह्य पदार्थ मिले हैं

धारा 31:– खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरणः–

(2) किसी छोटे विनिर्माता, फुटकर विक्रेता, हॉकर, फेरी वाले किसी अस्थायी स्टालधारक या खाद्य कारोबार से संबंधित किसी लघु उद्योग या कुटीर उद्योग या ऐसे किसी अन्य उद्योग या छोटे खाद्य कारबारकर्ता को लागू नहीं होगी, किन्तु वे स्वयं को मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थप्रद किए बिना ऐसे प्राधिकारी के पास और ऐसी रीति में रजिस्टर कराएंगे जिसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

धारा 51

कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का जो अवमानक है, मानव उपभोग के लिए, विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है शास्ति का, जो पांच लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

धारा 58

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंधन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कुचामन सिटी

अति. जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

(6) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जा.रि/2022/46 दिनांक 01.02.2022 से उक्त अभियुक्त श्री तुलसीराम राठी को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। अतः उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ सेम्पल फ.1704 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य है एंव बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य वस्तु का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31(2) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य है। इस प्रकार अवमानक(सबस्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ के विक्रय करने पर फर्म– मैसर्स रूणिचा दूध भण्डार, विश्वकर्मा मन्दिर के पास, कुचामन सिटी विक्रेता तुलसीराम राठी पुत्र गोपीराम एंव मालिक गोपीराम पुत्र श्री उदाराम निवासी विकास नगर कुचामन सिटी दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अभियुक्त संख्या 01 श्री तुलसीराम राठी पुत्र श्री गोपीराम विक्रेता एंव अभियुक्त संख्या 02 श्री गोपीराम पुत्र श्री उदाराम राठी मालिक निवासी विकास नगर कुचामन सिटी फर्मः– मैसर्स रूणिचा दूध भण्डार, विश्वकर्मा मन्दिर के पास, कुचामन सिटी पर राशि रुपये 30,000/–(अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नागौर को भेजी जावे। अभियुक्तगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्तगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

(7) आदेश दिनांक 04.09.2023 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सत्यमेव जयते कुचामन सिटी

(कमला अंतारिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला कलक्टर, कुचामनसिटी